

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

रांची, दिनांक-26 जुलाई, 2006

संख्या- 7/भा०स०प०-17-05/2005 (खंड)3898...../ झारखंड के राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री हरिशंकर प्रसाद को झारखंड राज्य सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करते हैं ।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 (3) के अनुसार यह नियुक्ति श्री प्रसाद द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(मुख्त्यार सिंह),

सरकार के प्रधान सचिव ।

प्रतिलिपि-7/भा०स०प०-17-05/2005 (खंड)3898...../ रांची, दिनांक-26 जुलाई, 2006

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखंड, रांची को झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि इस अधिसूचना को 200 (दो सौ) प्रतियाँ मुद्रित कर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (प्रशाखा-7) को उपलब्ध करने की कृपा की जाय ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

प्रतिलिपि-7/भा०स०प०-17-05/2005 (खंड)3898...../ रांची, दिनांक-26 जुलाई, 2006

प्रतिलिपि-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, ब्लॉक नं०-4, (पांचवा तल्ला), ओल्ड जे०एन०यू० कैम्पस, न्यू दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन, नई दिल्ली/महालेखाकार, बिहार/झारखंड/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्यमंत्री सचिवालय/राज्यपाल सचिवालय/मुख्य सचिव कोषांग, झारखंड, रांची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/झारखंड विधान सभा, रांची/झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची/निबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची/झारखंड राज्य के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय के कुलपति/सभी बोर्ड/निकाय/उपक्रम/सभी गैर सरकारी संस्थाएँ/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन/नेपाल हाउस, रांची/माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री हरिशंकर प्रसाद झारखंड उच्च न्यायालय, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव ।